रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102026-277501
CG-DL-E-29102026-277501

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5608] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2026/कार्तिक 5, 1948
No. 5608] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5833(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त धिनियम कहा गया है) की धारा-3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का.आ. 4092 (अ) दिनांक 24-07-2026 भारत के राजपत्र में प्रकाशित आसाधारण भाग- (11), खण्ड-3, उपखण्ड (ii) अधिसूचना संख्या कां.आ. 4092 (अ) दिनांक 24-07-2026 के दिनांकित में निम्नांकित संशोधन करती है।

जरूरी बदलाव की जानकारी नीचे दी गई है-

क्रमांक संख्या	मूल अधिसूचना/बाद की अधिसूचना में संशोधन की आवश्यकता वाले मामले	विषय में निम्नानुसार संशोधन किया जाना है
	मामले का विवरण	
1.	का.आ. 4092(अ).केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में	हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-919 के 2-लेन पेव्ड शोल्डर वाले राजमार्ग का 4-लेन पेव्ड शोल्डर वाले राजमार्ग में उन्नयन एवं

	प्रकाशित होने की तारीख से, (NH- 919) के कि.मी 17.1 किमी से 21.4 किमी डीआरओ कार्यालय, नूंह), कि.मी, 31.4 से 33.8 (डीआरओ कार्यालय, गुरुग्राम), कि.मी, 33.8 से 33.965 (डीआरओ कार्यालय, नूंह), कि.मी. 39.65 से 48.8 (डीआरओ कार्यालय, पलवल), कि.मी. 39.3 से 39.965 (डीआरओ कार्यालय, नूंह) तथा कि.मी. 33.965 से 39.3 (डीआरओ कार्यालय, गुरुग्राम), हरियाणा राज्य के तक के शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम धिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है	चौड़ीकरण करने हेतु, जिला राजस्व अधिकारी (DRO) कार्यालय, नूंह के अंतर्गत कि.मी. 17.100 से कि.मी. 21.400 तक, कि.मी. 33.800 से कि.मी. 33.965 तक तथा कि.मी. 39.300 से कि.मी. 39.650 तक; जिला राजस्व अधिकारी (DRO) कार्यालय, गुरुग्राम के अंतर्गत कि.मी. 31.400 से कि.मी. 33.800 तक तथा कि.मी. 33.965 से कि.मी. 39.300 तक; और जिला राजस्व अधिकारी (DRO) कार्यालय, पलवल के अंतर्गत कि.मी. 39.650 से कि.मी. 48.800 तक सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

फुटनोट:- मुख्य अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4092 (अ) दिनांक 24-07-2026 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित गई थी।

[फा. सं. PWD/PSR/919/Brown Field/001]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th October, 2026

S.O. 5833 (E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 4092(E), dated 24th july, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii) S.O. 4092(E), dated 24th july, 2026 namely:

Details of amendment required are as under-

Sr. No.	**Matter in principal notification that requires amendment**	**Matter to be amended as**
	Details of matter	
1.	S.0. 4092(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 17.1 to 21.4 of DRO Office, Nuh (NH- 919) in the State of HARYANA, 31.4 to 33.8 of DRO office, Gurugram (NH- 919) in the State of	For upgradation and widening from 2-laning with paved shoulders to 4-laning with paved shoulders of km 17.1 to km 21.4, km 33.8 to km 33.965 & km 39.300 to km 39.650 of DRO Office, Nuh (NH-919); km 31.4 to km 33.8 & km 33.965 to km 39.300 of DRO Office, Gurugram (NH-919);km 39.650 to km 48.8 of

	HARYANA, 33.8 to 33.965 of DRO Office, Nuh (NH- 919) in the State of HARYANA,39.65 to 48.8 of DRO Office, Palwal (NH- 919) in the State of HARYANA, 39.3 to 39.965 of DRO Office, Nuh (NH- 919) in the State of HARYANA, 33.965 to 39.3 of DRO office, Gurugram (NH- 919) in the State of HARYANA.	DRO Office, Palwal (NH-919) in the State of Haryana.

Foot Note: - The Principal notification was published vide number S.O. 4092(E), dated 24th july 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii).

[F. No. PWD/PSR/919/Brown Field/001]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.10.29 16:26:43 +05'30'